न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री धर्मराज गुर्जर, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 220 / 2020
दायर दिनांक :– 07.10.2020

अनवान

श्रीमति मदीना पत्नि सलीम मोहम्मद मुसलमान नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर
प्रार्थी.........

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा
अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश ::

दिनांक 08.01.2021

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 13 / 36, 13 / 37 प्रार्थी के खातेदारी व उपयोग उपयोग की कृषि भुमि स्थित है। प्रार्थी डाग का बाडा गडार से होकर आराजी नं 3037 / 13 बिलानाम भूमि में होकर आ.न. 13 / 40 व 2830 / 13 बिलानाम के मध्य पडत सरकारी जगह उसमें होकर आ.न. 13 / 36, व 13 / 37 प्रार्थी की आराजी में आती जाती हैं व प्रार्थि अपने खेत की फसल लाने ले जाने व ट्रेक्टर के लिये इस रास्ते का उपयोग वर्षो से कर रही है। प्रार्थिया बिना किसी रूकावट के आ. न. 2820 / 13 व आ.न. 13 / 40 के मध्य होकर व आराजी न. 2827 / 13, 13 / 10 बिलानाम भूमि में से 13 / 36, 13 / 37 में आ जा रही हैं व प्रार्थिया के खेत में जाने का एक मात्र रास्ता है। प्रार्थी को अप[illegible]र आने जाने मे परेशानी उठानी पडती है। जिससे प्रार्थी को क[illegible]ड रहा है। उक्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड में कि[illegible] राजस्व अभिलेखो [illegible] करने का हुक्म अप्रार्थीगण को प्रदान करावे व रास्ता [illegible] भुमि का प्रतिफल प्र[illegible]यायालय के आदेश से भुगतान करने हेतु तत्पर हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने के लिये प्रार्थना पत्र के चरण सं. 1 में वर्णित रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmraj Gurjar
Date: 2021.03.23 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थी की आराजी न. 13/36, 13/37 में कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही के संबध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र कमांक/राजस्व/2021/ दिनांक 29.12.2020 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने खेत आ.न. 13/36, 13/37 में आने जाने हेतु ख. न. 3037/13, 2827/13, 13/10 में से रास्ता चाहते है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिससे आ.न. 3037/13 में से रकबा 0.17 बीघा, आ.न. 2827/13 में से रकबा 0.17 बीघा, आ.न. 13/10 में से रकबा 0.08 बीघा कुल किता 3 रकबा 02.02 बीघा रास्ता दिया जाना उचित है। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 13/36, 13/37 बीघा में आने जाने के लिये रास्ता आ. न. 3037/13, 2827/13, 13/10 में से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आ.न. 3037/13 में से रकबा 0.17 बीघा, आ.न. 2827/13 में से रकबा 0.17 बीघा, आ.न. 13/10 में से रकबा 0. 08 बीघा कुल किता 3 रकबा 02.02 बीघा भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा प्रभावित रकबा आ.न. 3037/13 में से रकबा 0.17 बीघा, आ.न. 2827/13 में से रकबा 0.17 बीघा, आ.न. 13/10 में से रकबा 0.08 बीघा कुल किता 3 रकबा 02.02 बीघा की डी एल सी दर की दुगुनी 228280 रू. दो लाख अठ्ठाईस हजार दौ सौ अस्सी रू. बनते हैं जो मौके पर प्रार्थी राजकोश में जमा/अदा करेंगे। एवं रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज़ दिनांक 08.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dharmraj Gurjar
Date: 2021.03.23 11:26:58 IST
Reason: SelfAttested

(धर्मराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)